यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून** के माह अगस्त 2015 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 15-05-2018 से 25-05-2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार लेखा परीक्षक, श्री रामवीर सिंह एवं श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27-08-2015 से 09-09-2015 तक श्री सुनील कल्ला लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2011 से 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक गतिविधियों पर पर प्रशासननिक नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	सामान्य शिक्षा	आवंटन `	व्यय `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16		586.85	552.22	-	34.63
2016-17		744.01	627.44	-	116.58
2017-18		852.93	810.55	-	42.38
Total		**2183.80**	**1990.22**	**-**	**193.58**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `		व्यय `		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		GoI	State	GoI	State	GoI	State	GoI	State
2015-16	सामान्य शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	3334.49	7252.20	3334.49	7252.20	-	-	-	-
2016-17		7981.99	1510.10	7981.99	1510.10	-	-	-	-
2017-18		7496.18	1386.00	7496.18	1386.00	-	-	-	-
योग:		**18,812.66**	**10,148.30**	**18,812.66**	**10,148.30**	-	-	-	-

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण: (अन्य मद)

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	1730.27	1407.82
2	2016-17	1941.91	1866.25
3	2017-18	2388.58	2257.63

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जाते है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा **पृष्ठ 396** पर संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **सितम्बर 2016 एवं मार्च 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निदेशालय स्तर पर योजनाओ का संचालन नहीं किया जाता है योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि जिला स्तर पर प्रेषित कर दी जाती हैं।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (अ)

प्रस्तर 1: "उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005" के अंतर्गत अधिसूचित न होने के बावजूद निजी पुस्तकालय को रु 10.00 करोड़ निर्गत किया जाना।

उत्तरांचल लोक पुस्तकालयों की स्थापना तथा संबन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए "उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005" अधिसूचित किया गया था (अप्रैल 2005)। अधिनियम की धारा 2 (ट) (चार) के अनुसार लोक पुस्तकालय से तात्पर्य "ऐसे पुस्तकालय से है जिसे **राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह घोषित** किया गया है और जिस को राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय निधि से किसी भी प्रकार की वित्तीय और पुस्तकों की सहायता मिल रही हो, इसमे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लोक पुस्तकालय भी सम्मिलित है।"

इकाई की लेखापरीक्षा (मई 2018) मे देखा गया कि "दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, देहरादून" के संचित निधि (corpus fund) हेतु उत्तराखंड शासन के निर्देशों पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून के बजट से पुनर्विनियोजित कर वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 के मध्य रु 999.99 लाख[1] निर्गत किए गए थे तथा निर्देशित किया गया था कि:

- दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, देहरादून को संचित निधि (corpus fund) हेतु प्रदत्त मूल धनराशि को व्यय नहीं किया जाएगा अपितु ब्याज की धनराशि का उपयोग यथासमय नियमावली मे उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार संबन्धित पुस्तकालय एवं शोध संस्थान के संचालन आदि पर व्यय किया जाएगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी उद्देश्य हेतु किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त पुस्तकालय को अन्य छोटे तथा सामयिक क्रियाकलापो हेतु भी समय समय पर निदेशालय द्वारा धनराशि[2] निर्गत की गयी थी। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि पुस्तकालय द्वारा प्राप्त धनराशि के संबंध मे प्रेषित उपभोग प्रमाण पत्र व्यय वाउचर से समर्थित नहीं थे। उक्त पुस्तकालय पूर्णतः निजी है तथा इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए लाइब्रेरी की सूची मे भी उक्त पुस्तकालय नहीं थी, इस स्थिति मे राज्य कोष से उसे धन निर्गत किया जाना नियम संगत नहीं था। उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापो, जो कि शासकीय धन से संपादित किए जा रहे है, पर निदेशालय की स्वीकृति नहीं ली जाती है। (प्रावधान शासन के पत्र दिनांक 21/03/2014 के अनुसार)

---

[1] रु 320.42 लाख दिनांक 28 मार्च , 2006, रु 179.57 लाख दिनांक 02 अप्रैल 2007, रु 200.00 लाख दिनांक 21 मार्च, 2014 तथा रु 300.00 लाख दिनांक 24 फरवरी 2015 कुल रु 999.99 लाख

[2] रु 10.00 लाख नवम्बर 2016,

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि पुस्तकालय पूर्णतः निजी है जिसे रु 10.00 करोड़ का धन संचित निधि के रूप मे प्रदान किया गया है। पुस्तकालय की इस संबंध मे अर्हता के संबंध मे इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः "उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005" के अंतर्गत अधिसूचित न होने के बावजूद उक्त संस्था को रु 10.00 करोड़ का धन संचित निधि के रूप मे प्रदान किए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 1: विभिन्न योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो में से 146 कार्यो का लंबी अवधि से अपूर्ण रहना तथा कार्यो की लागत मे वृद्धि।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून अन्तर्गत विभिन्न योजनान्तर्गत अनुमोदित एवं क्रियान्वित किए जा रहे निर्माण कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण के अवलोकन (मई 2018) मे पाया गया कि कार्यो को वर्ष 2005-06 से अग्रेतर उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत कर उसके सापेक्ष धनराशि निर्गत की गयी थी, जिसका योजनावार विवरण निम्न है-

(₹ लाख मे)

क्रमांक	योजना का नाम	कार्य की कुल लागत		कार्यो की कुल संख्या		
		स्वीकृत	अवमुक्त (प्रतिशत)	पूर्ण	अपूर्ण	कुल
1.	स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान (एस सी पी)	10,309.24	10,097.24 (98)	99	25	124
2.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 9-12) मे छात्रावास निर्माण	2,287.67 (मार्च 2013)	2,287.66 (100)	06	03	09
3.	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण	13,224.50	9,552.69 (72)	05	04	09
4.	राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय	547.11	475.10 (87)	00	04	04
5.	जीर्ण शीर्ण योजना अंतर्गत भवन निर्माण	24,415.94	20,443.34 (84)	150	110	260
	योग:	**50,784.46**	**42,856.03 (84)**	**260**	**146**	**406**

प्रस्तावित 406 निर्माण कार्यो के सापेक्ष उनके स्वीकृत से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कुल रु 42,856.03 लाख (स्वीकृत राशि का 84 प्रतिशत) निर्गत किए गए थे, परंतु 406 कार्यो मे से 146 कार्य (36 प्रतिशत) अपूर्ण थे।

प्रगति विवरण के विश्लेषण मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आए।

- एस सी पी योजना अंतर्गत आठ कार्यो का रु 628.88 लाख के सापेक्ष रु 982.87 लाख[1] (56 प्रतिशत अधिक) तथा जीर्ण शीर्ण भवन निर्माण के 09 कार्यो के रु 950.03 लाख के

[1] पिथोरागढ़ः (i) रा ई का पंगु पुनरीक्षित आगणन ₹ 187.59 लाख, (ii) रा उ मा वि, गांधीनगर ₹ 101.63 लाख, (iii) रा उ मा वि पिलखी ₹ 124.94 लाख , पौड़ी (iV) रा उ मा वि मासों ₹ 84.09 लाख (V) रा ई का गुलियारी ₹ 141.11 लाख (Vi) रा का

सापेक्ष रु 1704.15 लाख[2] (79 प्रतिशत अधिक) का पुनरीक्षण आगणन प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किए गए थे।

- राजकीय इंटर कॉलेज भीरी, रुद्रप्रयाग के निर्माण के सापेक्ष स्वीकृत लागत की कुल राशि वर्ष 2011-12 मे ही निर्गत कर दी गयी थी परंतु 06 वर्ष के बाद भी कार्य की प्रगति मात्र 52 प्रतिशत थी, राजकीय इंटर कॉलेज गोरशाली तथा नौगांव, उत्तरकाशी के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2016-17 मे ही पूर्ण राशि निर्गत किए जाने के बाद भी कार्य की प्रगति मात्र 40 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदत्त कर उनके सापेक्ष धनराशि निर्गत की गयी थी परंतु प्रस्तावित 406 कार्यो मे से 146 कार्य अपूर्ण थे। पुनरीक्षण हेतु प्रेषित 17 आगणनो पर लेखापरीक्षा तिथि तक स्वीकृति अप्राप्त थी। कार्यो के अपूर्ण रहने से अन्य अपूर्ण कार्यो की लागत में भी वृद्धि की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण जनपद स्तर पर किए गए हैं, निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा अनुश्रवण के संबंध मे जिला कार्यालयो से आवश्यक सूचना प्राप्त कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।

इस प्रकार अनुश्रवण की कमी के कारण निर्माण कार्यो के समय से पूर्ण न किए जाने के कारण उसके लाभ से वंचित रहने तथा कार्य की लागत मे वृद्धि का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

मसानगाँव ₹ 87.67 लाख, उत्तरकाशी (Vii) रा उ मा वि ज्येष्टवाडी ₹ 131.64 लाख चमोली (Viii) रा ई का बौरागढ़ ₹ 124.20 लाख, कुल पुनरीक्षित आगणन ₹ 982.87 लाख।

[2] पौड़ीः (i) रा ई का चोपडिया ₹ 204.20 लाख, रुद्रप्रयाग (ii) रा ई का चमकोट ₹ 161.46 लाख, (iii) रा उ मा वि पांडवथली ₹ 132.36 लाख, पिथौरागढ़ (iV) रा ब ई का डीडीहाट ₹ 134.81 लाख, चमोली (V) रा ई का लटूगैर ₹ 142.85 लाख, टिहरी (Vi) रा ई का गाजा ₹ 173.06 लाख, (Vii) रा ई का चाका ₹ 177.07 लाख, उत्तराकाशी (Viii) रा ई का साल्ड ₹ 299.83 लाख, (iX) रा ई का श्रीकालखल ₹ 278.51 लाख, कुल ₹ 1704.15 लाख।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 81/2015-16 32/2011-12	**भाग-II 'ब' प्रस्तर** इकाई द्वारा पूर्व मे प्रत्युत्तर कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा को पत्रांक संख्या 27155 दिनांक 28/11/2017 प्रेषित किया जा चुका है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या **उपरोकतानुसार**	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार कुँवर	निदेशक	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.